(82) I124487 शिवराज सिंह नागर 10/DUP/10

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

05 JUN 2013

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

शिवराज सिंह नागर
स्टाम्प विक्रेता
तहसील दादरी
जिला-गौतम बुद्ध नगर

विक्रय पत्र

विक्रय पत्र अंकन : 12,09,469/-- रुपये
स्टाम्प पेपर अंकन : 3,42,300/ रुपये
कम्प्यूटर कोड सं0 108/1019

- विक्रित प्लाट पर स्टाम्प सरकारी रेट 5800/- रू0 प्रति वर्ग मीटर की दर से स्टाम्प अदा किया गया है।
- विक्रित प्लाट लिंक मार्ग पर स्थित नहीं है।
- विक्रित प्लाट दान समतल, पट्टे, सीलिंग आदि का नहीं है।
- विक्रित प्लाट पर कोई भवन निर्माण नहीं हुआ है।
- विक्रित प्लाट राजस्व ग्राम में होने के कारण 2 प्रतिशत अधिक की दर से स्टाम्प अदा किया गया है।

रुकम पाल

05 JUN 2013

गौतम बुद्ध नगर

विक्रय पत्र

1,309,469.00 / 1,209,469.00		10,000.00	20	10,020.00	1,000
प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री मै0 उप्पल चड्ढा हाई टेक डवल प्रा0 लि0 द्वारा राहुल वर्मा
पुत्र श्री देवेन्द्र वर्मा
व्यवसाय अन्य
निवासी स्थायी 33 कम्युनिटी सेन्टर न्यू फ्रेन्डस कॉ0 नई दिल्ली
अस्थायी पता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 17/6/2013 समय 4:24PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

उप निबन्धक दादरी
दादरी
17/6/2013

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता
श्री रुकमपाल
पुत्र श्री मुख्यारे
पेशा अन्य
निवासी डौला जिला बागपत

क्रेता
मै0 उप्पल चड्ढा हाई टेक डवल प्रा0 लि0 द्वारा राहुल वर्मा
पुत्र श्री देवेन्द्र वर्मा
पेशा अन्य
निवासी 33 कम्युनिटी सेन्टर न्यू फ्रेन्डस कॉ0 नई दिल्ली

ने निष्पादन स्वीकार किया
जिनकी पहचान श्री राजेश
पुत्र श्री अभय सिंह
पेशा अन्य
निवासी दुरियाई दादरी गौतम बुद्ध नगर
व श्री जैपाल
पुत्र श्री दाताराम
पेशा अन्य
निवासी पल्ला दादरी गौतम बुद्ध नगर
ने की :
प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये है

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

उप निबन्धक दादरी
दादरी
17/6/2013

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

05 JUN 2013

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

2

मैं नि: रक्मपाल पुत्र गुख्यारे निवासी मकान न0 175 ग्राम औरंगाबाद [illegible] व जिला पानीपत (फरीक अव्वल, विक्रेता)

एवम्

मैसर्स उप्पल चड्ढा हाईटेक डवलपर्स प्रा0 लि0 33 कम्युनिटी सेंटर न्यु फ्रेंड्स कालोनी नई दिल्ली द्वारा अतुल वर्मा पुत्र श्री रविन्द्र वर्मा 33, कम्युनिटी सेंटर न्यू फ्रेंड्स कालोनी नई दिल्ली अधिकृत हस्ताक्षरी (फरीक दोयम/क्रेता)।

05 JUN 2013

रौकड़िया

[illegible]गार गौरव मुद्रक

विक्रेता

Registration No.: [illegible] Year: 2,013 Book No.: 1

0101 रूपपाल

पुत्र [illegible]

[illegible]

[illegible]

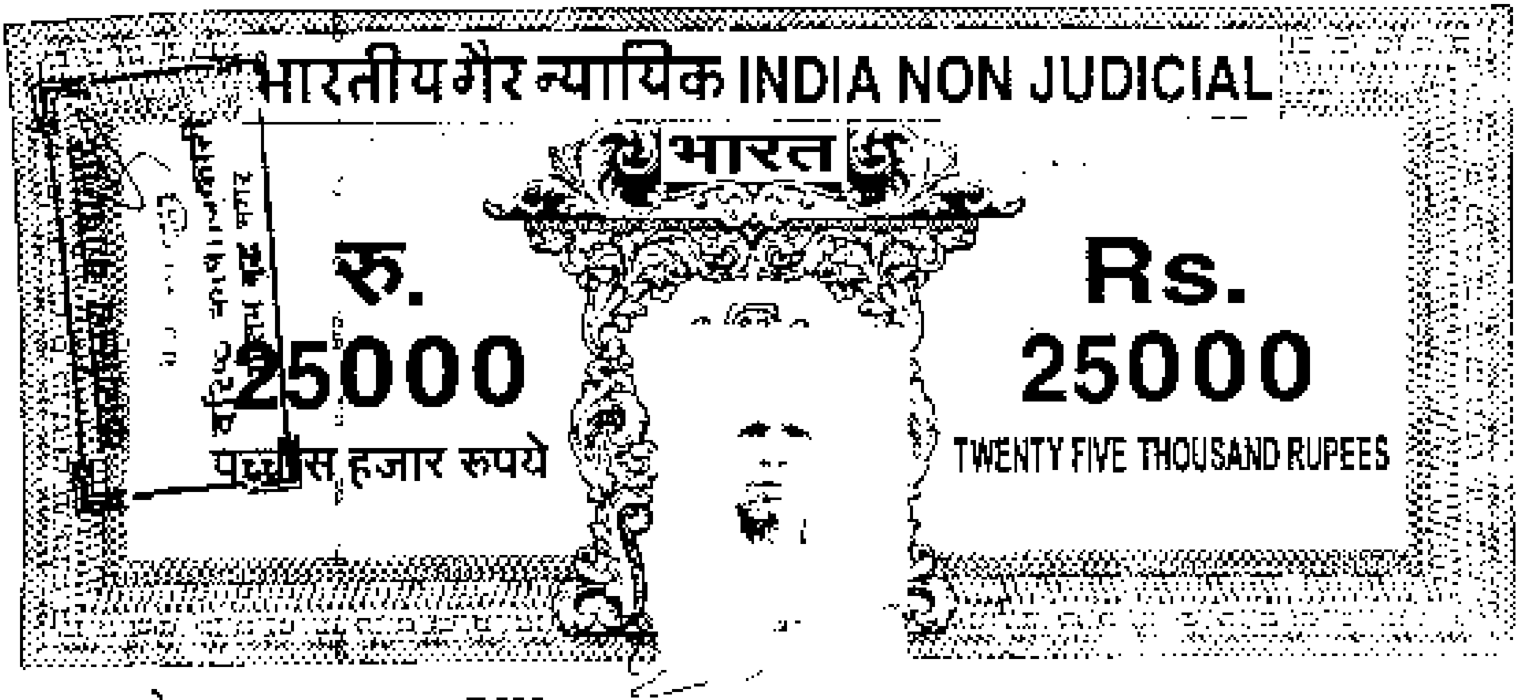

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

3

विक्रीत प्लाट का विवरण

(1) स्थित ग्राम कुरिथाई परगना व तहसील दादरी व जिला गौतमबुद्ध नगर (उ०प्र०), भूमि खाता न० 129 के खसरा नं० 80 रकबा 0.506 है० में से 0.0843 हैक्टे० भूमि विक्रय की जा रही है जो विक्रेता का सम्पूर्ण भाग है

2016

रोकड़िया

उप निबंधक गौतम बुद्ध नगर

[illegible]

Registration No. [illegible] Year 2,016 Book No. 1

0201 प0 उज्ज्वल वढेरा [illegible] पुत्र श्री [illegible] माता राहुल वर्मा

[illegible]

[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000

पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विक्रय भूमि ग्राम समाज की नहीं है। उपरोक्त भूमि मुख्य मार्ग से 500 मीटर से अधिक की दूरी पर स्थित है। विक्रय भूमि खाली है कोई निर्माण नहीं है। उपरोक्त भूमि की आवासीय निर्धारित दर 5,800/- रूपये प्रति वर्गमीटर है जिस पर स्टाम्प ड्यूटी अदा की गयी है। विक्रय भूमि पर स्वयं

15 05 2013

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000

पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

5

60/12-13 धारा 143 ज0वि0 अधि0 [illegible] ग्राम [illegible] तहसील दादरी व जिला गौतमबुद्ध नगर न्यायालय उप जिलाधिकारी/सहायक कलेक्टर द्वारा आबादी दर्ज है। प्रथम पक्ष मालिक है। अनुबंध [illegible]

15 2013
रोकड़िया
गौतम बुद्ध नगर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

05 JUN 2013

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

1417 से 1422 फसली जिसका फरीक अव्वल (विक्रेता) पूर्णरूप (स्वामी) व विक्रयाधिकारी, संक्रमणीय भूमिधर कागजात नहीं है, को [illegible] [illegible] के विक्रय किया जा रहा है।

दाखिल
2013
गौतम बुद्ध नगर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000

पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(2) विक्रीत भूमि गैर कृषि भूमि है। जो किसी भी मुख्य मार्ग [illegible] लिंक मार्ग पर स्थित नहीं है तथा सम्बन्धित [illegible] की [illegible] सरकारी सर्किल रेट 5800/- रुपये प्रति मीटर है।

05 JUN 2013
गौतम बुद्ध नगर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000

पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 757675

सौदा द्वितीय पक्ष से 1,43,47,200/— रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से अंकन 12,09,469/— रूपये (बारह लाख नौ हजार चार सौ उनहत्तर रूपये मात्र) में तय है और सरकारी स्टाम्प सर्किल रेट पर ही अदा किया गया है ।

गौतम बुद्ध नगर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs. 20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(३) विक्रित प्लाट ग्राम समाज, भूदान, वक्फ आदि की तथा निष्क्रान्त व शत्रु संपत्ति नहीं है और न ही इस पर कोई किसी प्रकार का विवाद है

गौतम बुद्ध नगर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विक्रीत भूमि विक्रय में स्टाम्प अधिनियम की धारा 27(1) का स्पष्टतापूर्वक अनुपालन किया गया है ।

15 JUN 2013

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs. 20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(4) विक्रीत भूमि उक्त आज दिन तक मुझ फरीक अव्वल (विक्रेता) की ओर से हर प्रकार के बन्धक भार व सरकारी देनदारी आदि से मुक्त है कहीं अन्य जगह आड़, रहन, बय हिबे, महायदावग व जमानत सरकारी व अर्द्ध

* कोषागार गौतम बुद्ध नगर *

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.20000

बीस हजार रुपये

[illegible] THOUSAND RU[illegible]ES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

सरकारी व निजी रूप आदि में ग्रस्त नही है । और न उक्त पर कोई बैंक ऋण व बिजली या अन्य किसी प्रकार का ड्यूज है । इस विक्रय भूमि से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद–ग्रस्त मामला किसी भी न्यायालय व

JUN 2013
रोकड़िया

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

₹20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

(प्रदेश UTTAR PRADESH

13

सरकारी व अर्द्धसरकारी विभाग/कार्यालय मुझे न तो दर्ज है और न ही लम्बित है । और न ही किसी निर्णीत आदेश का क्रियान्वन ही लम्बित है ।

5 JUN 2013
रोकड़विभाग
★ कोषागार मुंबई नगर ★

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 15000

पन्द्रह हजार रुपये

FIFTEEN THOUSAND RUPEES

Rs. 15000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

437043

(5) विक्रीत मिल्कियत उक्त के विक्रय मुझे कोई दोष व त्रुटि नहीं है हर प्रकार के वाद विवाद से मुक्त है उपरोक्त वर्णित / उल्लिखित भूमि के संबंध मे मुझ विक्रेता ने किसी अन्य व्यक्ति, कम्पनी आदि के हक मुझे कोई

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रू. 15000

FIFTEEN THOUSAND RUPEES

पन्द्रह हजार रुपये

Rs. 15000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

437044

मौखिक करार, वसीयतनामा व विक्रय अनुबंध पत्र, विक्रय पत्र, किसी भी कार्यालय मुझे पंजीकृत व अपंजीकृत, पूर्व मुझे न तो निष्पादित किया है और न ही कराया है तथा न नोटरी द्वारा सत्यापित हुआ है। यदि भविष्य

05 JUN 2013
★ कोषागार गौतम बुद्ध नगर ★

(18)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AH 475183

मुझे इस संबंध में कोई भी वसीयतनामा, विक्रय अनुबंध/विक्रय पत्र प्रस्तुत करके विवाद उत्पन्न किया जाता है तो वह विवाद अमान्य व निष्प्रभावी होगा। तथा इसके जिम्मेदार फरीक अव्वल व उनके वारिसान होंगे ।

21 MAY 2013

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

कार्यालय कोषागार

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AH 475184

(6) . मुझ विक्रेता को विक्रय पत्र मे वर्णित उक्त खाता नं0 129 के खसरा नं0 60 रकबा 0.506 है0 में से 0.0843 हैक्टे0 स्थित ग्राम दुरियाई परगना व तहसील दादरी व जिला गौतमबुद्ध नगर के अपने हिस्से के पूर्ण भाग को

MAY

33.

कार्यालय कोषागार
18 JUN 2012
वरिष्ठ कोषाधिकारी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

बेचने का स्वतन्त्र अधिकार पूर्णत: प्राप्त है : मुझ विक्रेता को निजी आवश्यकता हेतू पैसों की आवश्यकता है तथा मुझे अपनी उक्त भूमि की उचित कीमत क्रेता से मिल रही है । अतः विक्रेता ने अपनी खुशी से बिना किसी दबाव व धमकाव के, बरजामंदी. शुद्ध बुद्धि व स्वस्थ इन्द्रियों की दशा में अपने पारिवारिक समझौते से मय समस्त अधिकार मालिकाना, काबिजाना,

दाखिल

किया गया।

[illegible] JUN 2012

रोकड़िया

गौतम बुद्ध नगर

कोषागार

UPPAL CHADHA HI [illegible] PVT. LTD.

[illegible]

कार्यालय कोषागार
18 JUN 2012
वरिष्ठ कोषाधिकारी
गौतम बुद्ध

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

दाखिली–खारिजी, काश्त भराई, हर किस्म कब्जा गर्ज के जो कुछ भी अधिकार मुझ विक्रेता को विक्रीत भूमि से प्राप्त थे उससे कुछ बचा हुआ नहीं रहा है आदि आदि को आज की तारीख मुझे विक्रय धनराशि अंकन **12,09,469/–** रूपये (बारह लाख नौ हजार चार सौ उनहत्तर रूपये मात्र) जिसके आधे अंकन **6,04,734.50/–** (छः लाख चार हजार सात सौ चौंतीस रूपये पचास पैसे मात्र) रूपये होते है के एवज में बहक फरीक दोयम क्रेता।

किया गया।

JUN 2012

रोकड़िया

कोषागार गौतम बुद्ध नगर

DEVELOPERS PVT. LTD.

कार्यालय कोषागार
18 JUN 2012
वरिष्ठ कोषाधिकारी
गौतम बुद्ध नगर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

उपरोक्त मैसर्स उप्पल चढ्ढा हाईटेक डवलपर्स प्रा० लि० 33 कम्यूनिटी सेंटर न्यू फ्रेन्डस कालोनी नई दिल्ली पैन नबर AAACU 7200M द्वारा राहुल वर्मा पुत्र श्री देवेन्द्र वर्मा 33, कम्यूनिटी सेंटर न्यू फ्रेन्डस कालोनी नई दिल्ली अधिकृत हस्ताक्षरी द्वितीय पक्ष को बैय कर दिया है यानि कतई बेच दिया है और भूमि की कुल विक्रय धनराशि मुझ विक्रेता ने क्रेता से प्राप्त कर लिया है। अब कुछ भी विक्रय धनराशि बाकी नही रही है।

(7) विक्रय भूमि का कब्जा मौके पर क्रेता का पूर्ण वास्तविक रूप से करा दिया है जिसके क्रेता पूर्णतः मालिक काबिज दखिल बन गये हैं उनको सर्वथा अधिकार है कि वह उक्त भूमि को जिस प्रकार चाहे बहैसियत मालकाना प्रयोग में लायें ।

(8) विक्रेता, विक्रीत भूमि की बाबत समस्त कागजात मे बजरिये बैनामा दाखिल खारिज मालकागजात में कराकर क्रेता का नाम दर्ज करवायेगा या वे स्वय दर्ज करवा सकते है तथा आव यक प्रपत्रों पर जहाँ चाहे हस्ताक्षर

किया गया :
2012
कोषागार गौतम बुद्ध नगर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

21

मुझे फरीक अव्वल से करा सकते है, मुझे फरीक अव्वल को कोई एतराज नहीं होगा ।

(9) अतः अब विक्रय पश्चात विक्रीत भूमि की मिलकियत भूमि मुझे निहित हित व उसके मूल्य धन तथा किसी अंश से विक्रेता व वारिसान विक्रेता का, अब कोई संबध बाकी नही रहा और न कभी रहेगा।

(10) विक्रीत भूमि पर आज दिन तक फरीक अव्वल/विक्रेता की ओर कोई भार निकला और निकला हुआ भार क्रेता या स्थानापन को अपने पास से अदा करना पड़ा अथवा विक्रेता के अनाधिकार से या वारिसान विक्रेता की दावेदारी या किसी कानूनी नुक्स आदि से विक्रय भूमि कुल अथवा उसका कोई अंश क्रेता या उसके वारिसान या स्थानापन के कब्जे मालकाना से निकल जाये, तो हर ऐसी दशा के उत्पन्न होने पर फरीक अव्वल/ विक्रेता

लिया गया

JUN 2012

कोषागार

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

22

व उसके उत्तराधिकारीगण पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे तथा क्रेता व उसके स्थानापन्न व उत्तराधिकारीगणों को पूर्ण अधिकार होगा कि अपने पास से अदा किये गये भार को तथा कब्जे से निकल जाने वाली भूमि की धनराशि को मय हर्जे खर्चे प्रथम पक्ष विक्रेता व विक्रेता वारिसान की चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहे वसूल करा सकते है जिस पर फरीक अव्वल/विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

(11) विक्रय पत्र का समस्त खर्चा क्रेता ने वहन किया है।

किया गया।

2 3 MAY 2013

LTD.

कार्यालय कोषागार
21 JUN 2013
वरिष्ठ कोषाधिकारी
गौतम बुद्ध नगर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(14) यश बैंक लि0 शाखा गोल्फ प्लेस, नई दिल्ली का चैक नंबर 172587 अंकन **11,09,469** /– रूपये (ग्यारह लाख नौ हजार चार सौ उनहत्तर रूपये मात्र) दिनांकित 15-06-13 व अग्रिम रूपा अंकन 1,00,000/– (एक लाख रूपये मात्र) से फरीक अव्वल द्वारा अंतिम रूप से प्राप्त कर ली गयी है।

(हस्ताक्षर / निशानी अंगूठा)
फरीक अव्वल (विक्रेता)

(हस्ताक्षर / निशानी अंगूठा)
फरीक दोयम (क्रेता)

गवाह न0 1 [illegible]

गवाह न0 2 [illegible]

तहरीर दिनांक .... मसौदा .... शिव

किया गया।

21 MAY 2013

[illegible]

Registration No. [illegible] Year [illegible] Book No. 1

0201 श्री0 उत्पल दत्ता [illegible] लि0 द्वारा [illegible]

[illegible]

कार्यालय कोषागार

वरिष्ठ कोषाधिकारी गौतम बुद्ध नगर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(12) अतः यह विक्रय पत्र खूब सोच समझ कर, सुनकर पढ़ कर गवाहो की उपस्थिति मुझे लिख दिया गया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवें।

(13) विक्रेता ने विक्रीत भूमि खाता सं0 129 के खसरा न0 80 रकबा 0.0843 है0 स्थित ग्राम दुरियाई परगना व तहसील दादरी व जिला गौतमबुद्ध नगर के निमित्त निम्न विवरण के अनुसार विक्रय धनराशि प्राप्त कर ली है :–

...श्री वापिस किया गया।

21 MAY 2013

रोकड़िया

* कोषागार गौतम बुद्ध नगर *

आज दिनांक **17/06/2013** को

बही सं. **1** जिल्द सं. **5694**

पृष्ठ सं. **337** से **378** पर क्रमांक **12487**

रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

उप निबन्धक दादरी

दादरी

17.6.2013

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BK 432307

अनुबन्ध पत्र

यह अनुबन्ध पत्र आज दिनांक .... स्थान .... में श्री [illegible]
.... पुत्र / पति श्री [illegible] .... निवासी ग्राम [illegible] ....
परगना व तहसील [illegible] ... जिला [illegible] ....

प्रथम पक्ष

एवं

मैसर्स उप्पल चड्ढा हाईटेक डवलपर्स प्रा0 लि0 33 कम्यूनिटी सेंटर न्यू फ्रेन्डस कालौनी नई दिल्ली द्वारा राहुल वर्मा पुत्र श्री देवेन्द्र वर्मा 33, कम्यूनिटी सेंटर न्यू फ्रेन्डस कालौनी नई दिल्ली अधिकृत हस्ताक्षरी ।

द्वितीय पक्ष

विदित हो कि प्रथम पक्ष ग्राम [illegible] परगना व तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में स्थित भूमि खाता सं0 .... खसरा सं0 .... [illegible] .... कुल रकबा .... हैक्टेयर (अपने सम्पूर्ण भाग) का संक्रमणीय भूमिधर मालिक काबिज है। राजपत्रों में उक्त भूमि पर प्रथम पक्ष का नाम दर्ज है कोई अन्य व्यक्ति उक्त भूमि में किसी प्रकार का हकदार व हिस्सेदार नही है। उक्त भूमि पर अविभाजित परिवार का या कोई अन्य पारिवारिक वाद विवाद या कोई केस नही चल

[illegible]

रहा है। प्रथम पक्ष की उक्त भूमि आज की तारीख तक हर प्रकार के कर्जे सरकारी व गैर सरकारी आदि से पाक व साफ है।

यह कि प्रथम पक्ष आज दिनांक .... को अपनी उक्त भूमि को द्वितीय पक्ष के पक्ष में विक्रय कर दिया है। जोकि सब रजिस्ट्रार .... कार्यालय में बही सं0 .... के पुस्तक सं0......... ...... पृष्ठ............... पर क्रम सं0 ....पर दर्ज है।

प्रथम पक्ष उक्त विक्रय के फलस्वरुप सम्पूर्ण प्रतिफल की धनराशि द्वितीय पक्ष से प्राप्त कर लिये है। यह है कि प्रथम पक्ष को प्रतिफल धनराशि के अलावा उसके सम्पूर्ण हिस्से पर 645 रुपए प्रति वर्गगज के हिसाब से रु0............/– द्वारा बैंक नं. .... दिनांक .... बैंक............... द्वितीय पक्ष द्वारा दिया जा रहा है जिसके फलस्वरुप निम्नलिखित शर्तों की पाबन्दी दोनों पक्षों व उनके वारिसान पर रहेगी।

1. यह कि विक्रीत भूमि की निर्धारित मूल्य धनराशि अंकन.................. रुपए व उक्त भूमि पर उत्पन्न अन्य किसी भी अनुतोष लाभ या पुनर्वास हेतु आवंटित प्लाट की एवज में प्राप्त होने वाली धनराशि रु. 645 प्रति गज के हिसाब से निर्धारित धनराशि.................. दोनों पक्षों को मान्य है।

2. यह कि प्रथम पक्ष मौके पर कब्जा द्वितीय पक्ष को करा दिया है।

3. यह कि विक्रीत भूमि पर प्रथम पक्ष का कोई भी हक या अधिकार शेष नही रहा समस्त अधिकार द्वितीय पक्ष को प्राप्त हो गये है।

4. यह कि उक्त भूमि के सम्बन्ध में पुनर्वास योजना के तहत यदि भविष्य में किसी भी प्रकार के भूखण्डों का वितरण शासन या किसी निकाय द्वारा किया जाता है तो उस पर प्रथम पक्ष को कोई अधिकार नही होगा। समस्त अधिकार द्वितीय पक्ष क होगें। इन अधिकारो के अंतरण हेतु प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से रु................. द्वारा चैक सं0................ दिनांक............... बैंक .... से प्राप्त कर लिये है।

रघुनाथ

5. यह कि प्रथम पक्ष का विक्रय के फलस्वरुप उक्त भूमि पर लगी फसल, नलकूप या किसी भी परिसम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा।

अत: यह अनुबन्ध पत्र लिख दिया है ताकि भविष्य में काम आवे।

संकमपाल

प्रथम पक्ष

द्वितीय पक्ष

गवाह

1.

2